रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 1976/आषाढ़ 4, 1898
No. 215] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 1976/ASADHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th June 1976

G.SR. 424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of "West Bengal" hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) 14th Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "West Bengal" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

'WEST BENGAL'

1. Senior posts under the State Government	123
Chief Secretary to the Government	1
Member, Board of Revenue.	1
Additional Chief Secretary	1

Additional Member, Board of Revenue	1
Commissioners of Divisions.	3
Commissioner-Secretaries	10
Special Commissioner for Finance and Excise and *ex-officio* Secretary, Finance and Excise Departments.	1
Development and Planning Commissioner and *ex-officio* Secretary Development and Planning Departments.	1
Secretaries to Government	8
Special Secretary (Finance)	1
Joint/Deputy Secretaries	32
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, State Planning Board	1
Secretary, Board of Revenue	1
Special Secretary, Board of Revenue	1
Director of Land Records and Surveys	1
Director of Public Vehicles Department	1
Director of Panchayats	1
Director of Cottage and Small Scales Industries	1
Commissioner for Commercial Taxes	1
Director of Evaluation, Development and Planning Department	1
Director, Asansol Planning Organisation and Chief Executive Officer, Durgapur Development Authority	1
Director of Scheduled Castes and Tribes Welfare	1
Director of Rationing	1
Director of District Distribution Procurement and Supply	1
Labour Commissioner	1
Secretary, Vigilance Commission	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Additional Registrar of Cooperative Societies	1
District Magistrates and Collectors	15
Additional District Magistrates	25
Land Acquisition Collector, Calcutta	1
Settlement Officers	3
	123
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above	49
3. Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 and 2 above	43
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above.	129
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above.	45*
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above.	6
7. Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above.	27
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above.	14
Direct Recruitment posts	221
Promotion posts	43
Total Authorised Strength	264

N.B. The total authorised cadre strength of West Bengal prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 253.

*Includes the following 19 posts in excess of 20 per cent.

1. Chairman, Calcutta Improvement Trust.
2. Chairman, Calcutta State Transport Corporation.
3. Managing Director, West Bengal Industrial Development Corporation.
4. Managing Director, Durgapur Projects Limited.
5. Commissioner, Calcutta Corporation.
6. Chairman, Howrah Improvement Trust.
7. General Manager, Calcutta State Transport Corporation.
8. Managing Director, West Bengal State Warehousing Corporation.
9. Secretary Calcutta Metropolitan Development Corporation.
10. One post on account of proceeding on deputation of Shri J. K. Kohli with the Delhi Administration.
11. One post on account of proceeding on deputation of Shri L. R. K. Prasad with the Delhi Administration.
12. One post on account of proceeding on deputation of Shri A. Sinha with the Government of Tripura.
13. One post on account of proceeding on deputation of Shri C. S. Samal with the Government of Tripura.
14. One post on account of proceeding on deputation of Shri R. Srivastava with the Government of Pondicherry.
15. Managing Director, West Bengal Essential Commodities Supply Corporation.
16. Managing Director, West Bengal Financial Corporation.
17. Managing Director, West Bengal Small Industries Corporation.
18. Officer on Special Duty, Calcutta Metropolitan Development Authority.
19. Administrator, Oriental Gas Company's Undertaking.

[No. 11031/28/75-AIS(II)-A]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जून, 1976

सा० का० नि० 424 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) वे भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1 पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन पद . . .	123
सरकार के मुख्य सचिव . . .	1

सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
अपर मुख्य सचिव	1
अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
प्रमण्डल आयुक्त	3
आयुक्त—सचिव	10
विशेष आयुक्त वित्त तथा उत्पादक शुल्क और पदेन सचिव वित्त उत्पादक शुल्क विभाग	1
विकास तथा योजना आयुक्त तथा पदेन सचिव विकास और योजना विभाग	1
सरकार के सचिव	8
विशेष सचिव (वित्त)	1
संयुक्त/उप सचिव	32
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, राज्य योजना बोर्ड	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
विशेष सचिव, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण	1
निदेशक, सरकारी वाहन विभाग	1
निदेशक, पंचायत	1
निदेशक, लघु तथा कुटीर उद्योग	1
आयुक्त, वाणिज्य कर	1
निदेशक, मूल्यांकन, विकास तथा योजना विभाग	1
निदेशक, आसनसोल योजना संगठन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण	1
निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति	1
निदेशक, राशनिंग	1
निदेशक, जिला वितरण, वसूली तथा पूर्ति	1
श्रम आयुक्त	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1
सचिव, सतर्कता आयोग	1
जिला मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर	15
अपर जिला मजिस्ट्रेट	25
भूमि अधिग्रहण कलक्टर, कलकत्ता	1
बन्दोबस्त अधिकारी	3
जोड़	123

2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	49
3	भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन के पदोन्नति तथा प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	43
4	सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर	129
5	प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	45*
6	छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	6
7	कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20–60 प्रतिशत के हिसाब से	27
8	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	14
	सीधे भर्ती वाले पद	221
	पदोन्नति वाले पद	43
	कुल प्राधिकृत संख्या	264

विशेष ध्यान दीजिए.—पश्चिम बंगाल संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या जैसा कि उपर्युक्त अधिसूचना में दिया गया है, उसके गठन तथा उसकी पद संख्या को संशोधित किये जाने के पूर्व 253 थी।

1 अध्यक्ष, कलकत्ता सुधार मंडल
2 अध्यक्ष, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम
3 प्रबन्ध निदेशक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम
4 प्रबन्ध निदेशक दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड
5 आयुक्त कलकत्ता निगम
6 अध्यक्ष, हावड़ा सुधार मण्डल
7 महा प्रबन्धक, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम
8 महा प्रबन्धक, पश्चिम बंगाल राज्य गोदाम निगम
9 सचिव, कलकत्ता महा नगर विकास निगम
10 श्री जे० के० कोहली के दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण एक पद।

*20 प्रतिशत के अतिरिक्त निम्नलिखित 19 पद शामिल हैं।

11 श्री ए० सिन्हा के त्रिपुरा सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण एक पद।

12 श्री एल० आर० के० प्रसाद के दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण एक पद।

13 श्री सी०एस० सामल के त्रिपुरा सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण एक पद।

14 श्री आर० श्रीवास्तव के पांडिचेरी सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण एक पद।

15 प्रबन्ध निदेशक, पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु पूर्ति निगम।

16 प्रबन्धक निदेशक, पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम।

17 प्रबन्धक निदेशक, पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम।

18 विशेष कार्य अधिकारी, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण।

19 प्रशासक, ओरियन्टल गैस कम्पनी उपक्रम।

[सं० 11031/28/75-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) 14th Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule-III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments' in the Table, for the entry "West Bengal" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"WEST BENGAL"	
Chief Secretary to the Government	Rs. 3500
Member, Board of Revenue	Rs. 3000
Additional Chief Secretary	Rs. 3000
Additional Member, Board of Revenue	Rs. 2500—125/2—2750
Commissioners of Divisions	Rs. 2500—125/2—2750
Commissioner-Secretaries	Rs. 2500—125/2—2750
Special Commissioner for Finance and Excise and ex-officio Secretary, Finance and Excise Departments.	Rs. 2500—125/2—2750
Development and Planning Commissioner and ex-officio Secretary Development and Planning Departments	Rs. 2500—125/2—2750
Secretaries to Government	Rs. 2250
Special Secretary (Finance)	Rs. 2250

(b) In 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)', in the Table, for the entry "West

Bengal" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

Joint/Deputy Secretaries
Secretary to Governor
Secretary to Chief Minister
Secretary, State Planning Board
Secretary, Board of Revenue
Special Secretary, Board of Revenue
Director of Land Records and Surveys
Director of Public Vehicles Department
Director of Panchayats
Director of Cottage and Small Scales Industries
Commissioner for Commercial Taxes
Director of Evaluation, Development and Planning Department
Director, Asansol Planning Organisation and Chief Executive Officer, Durgapur Development Authority.
Director of Scheduled Castes and Tribes Welfare
Director of Rationing
Director of District Distribution procurement and Supply
Labour Commissioner
Secretary, Vigilance Commission
Registrar of Cooperative Societies
Additional Registrar of Cooperative Societies
District Magistrates and Collectors
Additional District Magistrates
Land Acquisition Collector, Calcutta
Settlement Officers.

[No. 11031/28/75-AIS(II)-B]

V. K. CHERIAN,
Desk Officer.

सा० का० नि० 425 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूचित - iii में
"क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद"

शीर्षक के अधीन सारणी में :—

(i) पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि "पश्चिम बंगाल" तथा दूसरे तथा तीसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

राज्य	पदों का विवरण	वेतन
पश्चिम बंगाल	मुख्य सचिव	रु० 3500/–
	सदस्य राजस्व बोर्ड	रु० 3000/–
	अपर मुख्य सचिव	रु० 3000/–
	अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड	रु० 2500–125/2–2750
	प्रमण्डल आयुक्त	रु० 2500–125/2–2750
	आयुक्त सचिव	रु० 2500–125/2–2750
	विशेष आयुक्त वित्त तथा उत्पादक शुल्क और पदेन सचिव वित्त उत्पादक शुल्क विभाग	रु० 2500–125/2–2750
	विकास तथा योजना आयुक्त तथा पदेन सचिव विकास और योजना विभाग	रु० 2500–125/2–2750
	सरकार के सचिव	रु० 2250/–
	विशेष सचिव (वित्त)	रु० 2250/–

(ii) "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद, जिनमें समय वेतन मान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अन्तर्गत सारणी में—

(i) पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि "पश्चिम बंगाल तथा दूसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियों" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

राज्य	पदों का विवरण
पश्चिम बंगाल	संयुक्त/उप सचिव
	राज्यपाल के सचिव
	मुख्य मंत्री के सचिव
	सचिव, राज्य योजना बोर्ड

राज्य	पदों का विवरण
	विशेष सचिव, राजस्व बोर्ड
	विशेष सचिव, राजस्व बोर्ड
	निदेशक, भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण
	निदेशक, सरकारी वाहन विभाग
	निदेशक, पंचायत
	निदेशक, लघु तथा कुटीर उद्योग
	आयुक्त वाणिज्य कर
	निदेशक, मूल्यांकन विकास तथा योजना
	निदेशक, आसनसोल योजना संगठन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गापुर विकास प्राधिकरण
	निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति
	निदेशक, राशनिंग
	निदेशक, जिला वितरण वसूली तथा पूर्ति
	श्रम आयुक्त
	सचिव, सतर्कता आयोग
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
	जिला मजिस्ट्रेट तथा कलैक्टर
	अपर जिला मजिस्ट्रेट
	भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, कलकत्ता
	बंदोबस्त अधिकारी
	अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ।

[सं० 11031/28/75-अ० भा० से० (II)-ख]

बी० के० चैरियन,
डेस्क अधिकारी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976